

# फर्द अहकाम

घनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व घाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर अप्रार्थीगण की तारीख हुये एक माह से अधिक समय हो चुका है। बावजूद सम्पक तारीख हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण स. 1 लगा. 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहरत एक पक्षीय प्र. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा प्र. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील प्रार्थी की बहरत पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी भूमि ख. न. 275 रकबा 0.5058 है, ख. न. 277/1 रकबा 1.6312 है, ख. न. 277/2 रकबा 0.2782 है, ख. न. 277/3 रकबा 0.2946 है, ख. न. 277/4 रकबा 0.298 है, ख. न. 277/5 रकबा 0.5058 है, ख. न. 277/6 रकबा 1.0116 है स्थित ग्राम नांगल बोहरा, प. ह. नांगल बोहरा भू. भू. नि. तहरदा तहसील बस्सी जिला जयपुर में उभयपक्षों को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त विवादित आराजी पर गार्फवला</p>

पय :  
प्रार्थना  
क आ  
कार्यवाही

# फर्द अहकाम

बनाम

आलय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>मूलवाद के मोके वारिडाई की प्रथास्थिति बनाये रखें। फत्रावली फँसल जुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकनील दाखिल कफर ही।</p>	